पत्रावली पेश हुई। वकुलाय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में मूल पत्रावली को जल्दी सुनवाई में रखा जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जल्दी सुनवाई में रखा जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी अधिवक्ता ने भी सहमति जाहिर कि एवं उभय पक्ष अधिवक्तागण की सहमति से पत्रावली को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की सुनवाई हेतु आज ही नियम किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned with OKEN Scanner